बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक_____ पटना, दिनांक_____

ग्रा.वि.-7(आं)-01/2018

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
अपर सचिव ।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से सामग्री मद एवं प्रशासनिक मद में प्राप्त केन्द्रांश (Grant in aid to state Government) के प्रथम भाग के तृतीय किस्त की राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये के आवंटन के संबंध में ।**

प्रसंगः- स्वीकृत्यादेश सं0- 382133 दिनांक- 01.08.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-86 दिनांक 17-07-2018 द्वारा प्रथम भाग के तृतीय किस्त की राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये के विमुक्ति की स्वीकृति दी गयी है । उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के क्रियान्वयन हेतु कर्णाकिंत उपबंध से स्वीकृत्यादेश सं0-382133 दिनांक-01.08.2018 के द्वारा उक्त प्राप्त राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. उक्त प्राप्त राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये को मांग संख्या 42 के मुख्य शीर्ष 2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये आय व्यय उपबंध हेतु कर्णाकित राशि कुल कुल 176398.00 लाख (सतरह अरब तिरसठ करोड़ अंठानबे लाख) रूपये में से केन्द्रांश के रूप में पूर्व में आवंटित राशि कुल 20526.71 लाख (दो अरब पांच करोड़ छबीस लाख इकहत्तर हजार) रूपये एवं कुल 24154.46 लाख (दो अरब इकतालीस करोड़ चौवन लाख छियालीस हजार) रूपये घटाने के उपरांत अवशेष राशि 131716.83 (तेरह अरब सतरह करोड़ सोलह लाख तेरासी हजार) रूपये में से आवंटित की जाती है ।

3. उक्त राशि बजट मुख्य शीर्ष-2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

4. आवंटित राशि की निकासी ग्रामीण विकास विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से की जायेगी । निकासी की गई राशि State Employment Guarantee fund, Bihar, Patna के State Bank of India, R-Block, IFSC Code SBIN0031501 में धारित Account no-61310273370 में जमा की जायेगी ।

5. भारत सरकार के पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-86 दिनांक 17-07-2018 के कंडिका-3 के आलोक में एकमुस्त निकासी हेतु प्रशासी विभाग सक्षम है । फलतः आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी कर व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 दिनांक 17.04.1998 तथा वित्त विभाग के पत्रांक 354 दिनांक 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

7 वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि.(2) दिनांक 05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में स्वीकृत राशि को कोषागार से निकासी के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

8. कोषागार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके ।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके ।

10. आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं ।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है ।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग, (बजट शाखा), बिहार, पटना को दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राधा किशोर झा)

अपर सचिव

ज्ञापांक_____ पटना, दिनांक: _____

ग्रा.वि.-7(आं)- 01/2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक_____ पटना, दिनांक: _____

ग्रा.वि.-7(आं)- 01/2018

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, बिहार, पटना / लेखा शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक 382257 पटना, दिनांक: 02.08.2018

ग्रा.वि.-7(आं)- 01/2018

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, बिहार पटना / प्रशाखा पदाधिकारी-10, बजट शाखा, प्रभारी सांख्यिकी सहायक, सी0एफ0एम0एस0 टीम तथा आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

02/08

अपर सचिव

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 382257
ग्रा.वि.-7(आं)-01/2018

पटना, दिनांक 02.08.2018

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
अपर सचिव ।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से सामग्री मद एवं प्रशासनिक मद में प्राप्त केन्द्रांश (Grant in aid to state Government) के प्रथम भाग के तृतीय किस्त की राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये के आवंटन के संबंध में ।**

प्रसंग:- स्वीकृत्यादेश सं0- 382133 दिनांक- 01.08.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-86 दिनांक 17-07-2018 द्वारा प्रथम भाग के तृतीय किस्त की राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये के विमुक्ति की स्वीकृति दी गयी है । उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के क्रियान्वयन हेतु कर्णाकिंत उपबंध से स्वीकृत्यादेश सं0-382133 दिनांक-01.08.2018 के द्वारा उक्त प्राप्त राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. उक्त प्राप्त राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये को मांग संख्या 42 के मुख्य शीर्ष 2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये आय व्यय उपबंध हेतु कर्णाकित राशि कुल कुल 176398.00 लाख (सतरह अरब तिरसठ करोड़ अंठानबे लाख) रूपये में से केन्द्रांश के रूप में पूर्व में आवंटित राशि कुल 20526.71 लाख (दो अरब पांच करोड़ छबीस लाख इकहत्तर हजार) रूपये एवं कुल 24154.46 लाख (दो अरब इकतालीस करोड़ चौवन लाख छियालीस हजार) रूपये घटाने के उपरांत अवशेष राशि 131716.83 (तेरह अरब सतरह करोड़ सोलह लाख तेरासी हजार) रूपये में से आवंटित की जाती है ।

3. उक्त राशि बजट मुख्य शीर्ष-2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

4. आवंटित राशि की निकासी ग्रामीण विकास विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से की जायेगी । निकासी की गई राशि State Employment Guarantee fund, Bihar, Patna के State Bank of India, R-Block, IFSC Code SBIN0031501 में धारित Account no-61310273370 में जमा की जायेगी ।

5. भारत सरकार के पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-86 दिनांक 17-07-2018 के कंडिका-3 के आलोक में एकमुस्त निकासी हेतु प्रशासी विभाग सक्षम है । फलत: आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी कर व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 दिनांक 17.04.1998 तथा वित्त विभाग के पत्रांक 354 दिनांक 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

7 वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि.(2) दिनांक 05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में स्वीकृत राशि को कोषागार से निकासी के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

8. कोषागार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके ।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके ।

10. आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं ।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है ।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग, (बजट शाखा), बिहार, पटना को दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

(राधा किशोर झा)
अपर सचिव

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक_____ पटना, दिनांक_____

ग्रा.वि.-7(आं)-01/2018

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
अपर सचिव ।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से सामग्री मद एवं प्रशासनिक मद में प्राप्त केन्द्रांश (Grant in aid to state Government) के प्रथम भाग के तृतीय किस्त की राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये के आवंटन के संबंध में ।**

प्रसंगः- स्वीकृत्यादेश सं0- 382133 दिनांक- 01.08.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-86 दिनांक 17-07-2018 द्वारा प्रथम भाग के तृतीय किस्त की राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये के विमुक्ति की स्वीकृति दी गयी है । उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के क्रियान्वयन हेतु कर्णाकिंत उपबंध से स्वीकृत्यादेश सं0-382133 दिनांक-01.08.2018 के द्वारा उक्त प्राप्त राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. उक्त प्राप्त राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये को मांग संख्या 42 के मुख्य शीर्ष 2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये आय व्यय उपबंध हेतु कर्णांकित राशि कुल कुल 176398.00 लाख (सतरह अरब तिरसठ करोड़ अंठानबे लाख) रूपये में से केन्द्रांश के रूप में पूर्व में आवंटित राशि कुल 20526.71 लाख (दो अरब पांच करोड़ छबीस लाख इकहत्तर हजार) रूपये एवं कुल 24154.46 लाख (दो अरब इकतालीस करोड़ चौवन लाख छियालीस हजार) रूपये घटाने के उपरांत अवशेष राशि 131716.83 (तेरह अरब सतरह करोड़ सोलह लाख तेरासी हजार) रूपये में से आवंटित की जाती है ।

3. उक्त राशि बजट मुख्य शीर्ष-2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

4. आवंटित राशि की निकासी ग्रामीण विकास विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से की जायेगी । निकासी की गई राशि State Employment Guarantee fund, Bihar, Patna के State Bank of India, R-Block, IFSC Code SBIN0031501 में धारित Account no-61310273370 में जमा की जायेगी ।

5. भारत सरकार के पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-86 दिनांक 17-07-2018 के कंडिका-3 के आलोक में एकमुस्त निकासी हेतु प्रशासी विभाग सक्षम है । फलतः आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी कर व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 दिनांक 17.04.1998 तथा वित्त विभाग के पत्रांक 354 दिनांक 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

7 वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि.(2) दिनांक 05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में स्वीकृत राशि को कोषागार से निकासी के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

8. कोषागार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके ।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके ।

10. आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं ।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है ।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग, (बजट शाखा), बिहार, पटना को दी जा रही है ।

विश्वासभाजन
ह0/-
(राधा किशोर झा)
अपर सचिव

ज्ञापांक 382257 पटना, दिनांक: 02-08-2018

ग्रा.वि.-7(आं)- 01/2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक_____ पटना, दिनांक_____

ग्रा.वि.-7(आं)-01/2018

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
अपर सचिव ।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से सामग्री मद एवं प्रशासनिक मद में प्राप्त केन्द्रांश (Grant in aid to state Government) के प्रथम भाग के तृतीय किस्त की राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये के आवंटन के संबंध में ।**

प्रसंग:- स्वीकृत्यादेश सं0- 382133 दिनांक- 01.08.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-86 दिनांक 17-07-2018 द्वारा प्रथम भाग के तृतीय किस्त की राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये के विमुक्ति की स्वीकृति दी गयी है । उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के क्रियान्वयन हेतु कर्णाकिंत उपबंध से स्वीकृत्यादेश सं0-382133 दिनांक-01.08.2018 के द्वारा उक्त प्राप्त राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. उक्त प्राप्त राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये को मांग संख्या 42 के मुख्य शीर्ष 2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये आय व्यय उपबंध हेतु कर्णाकित राशि कुल कुल 176398.00 लाख (सतरह अरब तिरसठ करोड़ अंठानबे लाख) रूपये में से केन्द्रांश के रूप में पूर्व में आवंटित राशि कुल 20526.71 लाख (दो अरब पांच करोड़ छबीस लाख इकहत्तर हजार) रूपये एवं कुल 24154.46 लाख (दो अरब इकतालीस करोड़ चौवन लाख छियालीस हजार) रूपये घटाने के उपरांत अवशेष राशि 131716.83 (तेरह अरब सतरह करोड़ सोलह लाख तेरासी हजार) रूपये में से आवंटित की जाती है ।

3. उक्त राशि बजट मुख्य शीर्ष-2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

4. आवंटित राशि की निकासी ग्रामीण विकास विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से की जायेगी । निकासी की गई राशि State Employment Guarantee fund, Bihar, Patna के State Bank of India, R-Block, IFSC Code SBIN0031501 में धारित Account no-61310273370 में जमा की जायेगी ।

5. भारत सरकार के पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-86 दिनांक 17-07-2018 के कंडिका-3 के आलोक में एकमुस्त निकासी हेतु प्रशासी विभाग सक्षम है । फलत: आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी कर व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 दिनांक 17.04.1998 तथा वित्त विभाग के पत्रांक 354 दिनांक 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

7 वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि.(2) दिनांक 05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में स्वीकृत राशि को कोषागार से निकासी के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

8. कोषागार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके ।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके ।

10. आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं ।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है ।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग, (बजट शाखा), बिहार, पटना को दी जा रही है ।

विश्वासभाजन
ह0/-
(राधा किशोर झा)
अपर सचिव

ज्ञापांक_____ पटना, दिनांक:_____

ग्रा.वि.-7(आं)- 01/2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
अपर सचिव

ज्ञापांक 382257 पटना, दिनांक: 02.08.2018

ग्रा.वि.-7(आं)- 01/2018

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, बिहार, पटना / लेखा शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 382257 पटना, दिनांक 02.08.2018

ग्रा.वि.-7(आं)-01/2018

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
अपर सचिव ।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से सामग्री मद एवं प्रशासनिक मद में प्राप्त केन्द्रांश (Grant in aid to state Government) के प्रथम भाग के तृतीय किस्त की राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये के आवंटन के संबंध में ।**

प्रसंग:- स्वीकृत्यादेश सं0- 382133 दिनांक- 01.08.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-86 दिनांक 17-07-2018 द्वारा प्रथम भाग के तृतीय किस्त की राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये के विमुक्ति की स्वीकृति दी गयी है । उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के क्रियान्वयन हेतु कर्णाकिंत उपबंध से स्वीकृत्यादेश सं0-382133 दिनांक-01.08.2018 के द्वारा उक्त प्राप्त राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. उक्त प्राप्त राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये को मांग संख्या 42 के मुख्य शीर्ष 2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये आय व्यय उपबंध हेतु कर्णाकित राशि कुल कुल 176398.00 लाख (सतरह अरब तिरसठ करोड़ अंठानबे लाख) रूपये में से केन्द्रांश के रूप में पूर्व में आवंटित राशि कुल 20526.71 लाख (दो अरब पांच करोड़ छबीस लाख इकहत्तर हजार) रूपये एवं कुल 24154.46 लाख (दो अरब इकतालीस करोड़ चौवन लाख छियालीस हजार) रूपये घटाने के उपरांत अवशेष राशि 131716.83 (तेरह अरब सतरह करोड़ सोलह लाख तेरासी हजार) रूपये में से ~~नि~~आवंटित की जाती है ।

3. उक्त राशि बजट मुख्य शीर्ष-2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

सहायक प्र० पद० संयुक्त सचिव सचिव

गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

4. आवंटित राशि की निकासी ग्रामीण विकास विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से की जायेगी । निकासी की गई राशि State Employment Guarantee fund, Bihar, Patna के State Bank of India, R-Block, IFSC Code SBIN0031501 में धारित Account no-61310273370 में जमा की जायेगी ।

5. भारत सरकार के पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-86 दिनांक 17-07-2018 के कंडिका-3 के आलोक में एकमुस्त निकासी हेतु प्रशासी विभाग सक्षम है । फलतः आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी कर व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 दिनांक 17.04.1998 तथा वित्त विभाग के पत्रांक 354 दिनांक 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

7 वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि.(2) दिनांक 05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में स्वीकृत राशि को कोषागार से निकासी के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

8. कोषागार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके ।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके ।

10. आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं ।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है ।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग, (बजट शाखा), बिहार, पटना को दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

(राधा किशोर झा)
अपर सचिव 2/08

ज्ञापांक 382257 पटना, दिनांक: 02.08.2018

ग्रा.वि.-7(आं)- 01/2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव 2/08

सहायक प्र० पदा० सं० सचिव संचिव

ज्ञापांक 382257 पटना, दिनांक: 02.08.2018

ग्रा.वि.-7(आं)- 01/2018

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, बिहार, पटना / लेखा शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव

ज्ञापांक 382257 पटना, दिनांक: 02.08.2018

ग्रा.वि.-7(आं)- 01/2018

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, बिहार पटना / प्रशाखा पदाधिकारी-10, बजट शाखा, प्रभारी सांख्यिकी सहायक, सी0एफ0एम0एस0 टीम तथा आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव

ज्ञापांक 382257 पटना, दिनांक: 02.08.2018

ग्रा.वि.-7(आं)- 01/2018

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, (मनरेगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अपर सचिव
2/08

सहायक प्र० पदा० संयुक्त सचिव सचिव